न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 164/2025
जीसीएमएस सं. 2025/456

अपीलांट्सः–

1. भंवरलाल पुत्र श्री कालूराम उम्र 66 वर्ष जाति मेघवाल निवासी डाबी, बूंदी, राजस्थान।
2. सूरजाराम पुत्र श्री सुखाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी सिविल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोधपुर।
3. पुराराम पुत्र श्री सुखाराम उम्र 52 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गांव रामासनी, जोधपुर।
4. रामलाल पुत्र श्री भींयाराम उम्र 42 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, जालेली फौजदारा, बनाड, जोधपुर।
5. सुखदेव पुत्र भींयाराम उम्र 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, जालेली फौजदारा, बनाड, जोधपुर।

अपीलार्थी सं. 01 से 05 जरिये खास मुख्त्यार सोनू पुत्र श्री भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी गांव रामासनी, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

1. मोहनराम पुत्र भाणाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मियासनी, तहसील कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार, कुडी भगतासनी, जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध खसरा सं. 146 ग्राम मियासनी, तहसील कुडी भगतासनी में नामांतरकरण सं. 390 दिनांक 30.12.2014 को नायब तहसीलदार, डांगियावास द्वारा स्वीकृत किया किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री दिनेश लोल बिरामी (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा, नगीना गौरी (प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 24.02.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम मियासनी तहसील कुडी भगतासनी (पूर्व तहसील जोधपुर) के नामांतरकरण सं. 390 पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नायब तहसीलदार, डांगियावास द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2025 को अपीलार्थीगण के खास मुख्त्यार सोनू की ओर से प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी 1 मोहनराम की ओर से श्री कानाराम गोदारा व नगीना गौरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

3. अपील मीमों में वर्णित अभिवचनों के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मियासनी, पटवार हल्का बिरामी तहसील कुडी भगतासनी का खेत खसरा सं. 146 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा की भूमि स्वर्गीय पुखाराम व मंगलाराम पुत्र पाबुराम मेगवाल के नाम खातेदारी में दर्ज थी। मंगलाराम दिनांक 29.08.2024 को लाऔलाद फौत हो गए। पुखाराम भी दिनांक 02.08.2004 को लाऔलाद फौत हुए तथा उनकी पत्नी पेमल भी फौत हो चुकी है। पाबुराम के तीन लडकियां मीरा, वीरा व झम्मु थी, वे भी फौत हो चुकी है। मीरा के दो पुत्र सुखाराम व भंवरलाल (अपीलांट) है। सुखाराम फौत हो चुका है। सुखाराम के चार पुत्र सुरजाराम (अपीलांट), पुराराम (अपीलांट), दुर्गाराम व बींजाराम है।

इसी प्रकार, वीरा के पुत्र राजूराम (लाऔलाद फौत), मांगीलाल (लाऔलाद फौत) तथा भीयाराम (फौत) थे। भींयाराम क पुत्र रामलाल (अपीलांट) व सुखदेव (अपीलांट) है। इम्मु का पुत्र बालु है।

उक्तानुसार वंशावली का वृक्ष, अपील के पैरा सं. 03 में अंकित किया है, जिन्हे पाबुराम के प्रथम श्रेणी के वंशज बताया गया है। अपीलांट्स का यह भी कथन है कि खातेदार पुखाराम व मंगलाराम आजीवन, अपीलांट्स के साथ ही रहे तथा अंतिम समय तक अपीलांट्स ने ही उनकी सेवा चाकरी की तथा अंतिम संस्कार की रस्मे अदा की। पुखाराम व मंगलाराम ने अपने जीवनकाल में विवादग्रस्त आराजी का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत, बक्शीश, बेचान इत्यादि से हस्तांतरण नहीं किया है तथा अपीलार्थीगण ही मंगलाराम व पुखाराम के उत्तराधिकारी है। मंगलाराम, पुखाराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी को काश्तकारी एवं देखभाल हेतु, अपने जाति भाई चोलाराम पुत्र भाणाराम को दी गई थी। जुलाई 2025 में, रेस्पोंडेंट मोहनराम पुत्र भाणाराम ने, चोलाराम से झगडा, झूठे मुकदमें बाजी करके वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तथा अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया। चोलाराम द्वारा, उक्त बात, अपीलांट्स को बताने पर, अपीलांट्स ने रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि मोहनराम ने एक फर्जी वसीयतनामा से मंगलाराम व पुखाराम के फर्जी अंगूठे लगाकर,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

फर्जी गवाह तैयार कर, भूमि का नामांतरकरण सं. 390 दिनांक 30.12.2014 को तहसीलदार, जोधपुर से मिलावट करके अपने नाम दर्ज करवा लिया, है, जिस पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। नामांतरकरण सं. 390 की दिनांक 29.09.2025 को नकल प्राप्त करके यह अपील पेश की है। अपीलाधीन नामांतरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट के पिता सुखाराम ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति दर्ज करा दी थी, परंतु सुखाराम का देहांत हो जाने से, प्रत्यर्थी सं. 01 ने, तहसीलदार से सांठ गांठ करके, नामांतरकरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। मोहनराम ने दिनांक 04.02.2003 को फर्जी वसीयतनामा तैयार किया है, जिसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। वसीयतनामा में पुखाराम को अविवाहित गलत रूप से बताया है। अतः नामांतरकरण सं. 390 पर, तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण के नाम वादग्रस्त आराजी रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

अपील के समर्थन में नामांतरकरण सं. 390 की प्रति, खास मुख्त्यारनामा दिनांक 08.10.2025 की फोटोप्रति, ख.नं. 146 की जमाबंदी की प्रति पेश की है।

4. प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद एक्ट का लिखित जवाब, खसरा गिरदावरी की प्रतियां, तहसीलदार द्वारा प्रकरण सं. 49/2013 द्वारा की गई जांच की पत्रावली की ऑर्डरशीट, बयान, आदेश दिनांक 16.12.2014 की प्रतियां इत्यादि रिकॉर्ड पेश किया है।
5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गई।
6. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश लोल ने अपील मीमों में वर्णित अभिवचनों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी है। वक्त सेटलमेंट, वादग्रस्त आराजी, अपीलांट्स के मामा पुखाराम व मंगलाराम के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। पुखाराम व मंगलाराम का लाऔलाद फौत होने से, अपीलांट्स ही उनके उत्तराधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी मोहनराम पुत्र भाणाराम ने फर्जी स्टांप खरीदकर, फर्जी वसीयत तैयार की तथा नोटरी से तस्दीक करवा कर, तहसीलदार से मिलावट करके, नामांतरकरण के आदेश अपने पक्ष में एकपक्षीय पारित करवा लिए है। इस संबंध में एफआईआर सं. 492/2025, पुलिस थाना उदयमंदिर, जोधपुर में दर्ज है, जिसका अनुसंधान जारी है। फर्जीवाडा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.09.2025 को होने से, यह अपील जानकारी से म्याद भीतर पेश है। इसे स्वीकार किया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने, अपीलांट्स अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 390 पर दिनांक 30.12.2014 को आदेश नायब तहसीलदार, डांगियावास द्वारा पारित किया गया है। अपील मीमों के पैरा सं. 03 में जो वंशावली दर्शायी है, वह सही नहीं है। पक्षकारों के नाम सही नहीं है। प्रत्यर्थी सं. 01 मोहनराम का दादा अमरीयां सन् 1945 (संवत् 2004–05) में पुखियां व मंगलिया का संरक्षक था तथा नजदीकी रिश्तेदार था। अमरिया ने पुखिया व मंगलिया का पालन पोषण किया। पुखिया व मंगलिया ने ही अमरिया के पोते, प्रत्यर्थी 1 मोहनराम के पक्ष में वसीयत लिखी है, जिसकी जांच तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 49/2013 दर्ज करके की तथा आदेश दिनांक 16.12.2014 से नामांतरकरण सं. 390, मोहनराम के नाम दर्ज करने का पारित किया है। अपीलांट सं. 02 व 03 के पिता व भाणेज डूंगरराम ने भी एतराज पेश किया था तथा वसीयत का फर्जी होना, कूट रचित होना, बनावटी होने का एतराज भी लिखित में पेश किया था। तहसीलदार ने उक्त आपत्तियों को खारिज किया तथा दिनांक 16.12.2014 के आदेश से प्रत्यर्थी सं. 01 के नाम नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये। तहसीलदार के उक्त आदेश को चेलेंज नहीं किया गया है। नामांतरकरण उक्त आदेश की पालना में ही दर्ज किया गया है।

इसके अतिरिक्त सडक चौडाई हेतु भूमि अवाप्त की गई है, जिसकी विज्ञप्ति अखबार में प्रकाशित की गई तथा मजमें आम सुनवाई करके, भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा निर्धारित किया है जिसके दस्तावेज हमने पेश किये है। अपील में कब्जा मोहनराम का स्वीकार किया है। देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलांट्स द्वारा शपथ पत्र नहीं दिये है, बल्कि पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर सोनू ने शपथ पत्र दिया है, जो प्रधान पार्टी (मालिक) नहीं होने से मान्य नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों एवं कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2025(1) RRT 635 (नेनीदेवी बनाम इन्द्राराम), 2009(1) RRT 488 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम दाखा बाई), राजस्व मण्डल पेश किये तथा कथन किया कि धारा 5 म्याद कानून के प्रार्थना में जानकारी माह जुलाई 2025 में होने का कथन किया है, जबकि अपील 15.10.2025 को पेश की है, को स्पष्टतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 78 में निर्धारित 30 दिन की अवधि के पश्चात् पेश की गई है तथा म्याद बाहर पेश होने से अस्वीकार योग्य है। अपीलांट्स ने अपील मीमों के पैरा सं. 5 व 6 में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रत्यर्थी सं. 1 का होना स्वीकार किया है। तहसीलदार का आदेश एक पक्षीय नहीं था।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त के अतिरिक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा की कार्यवाही अलग से करने का भी मीमों में उल्लेख किया गया है अर्थात् वैकल्पिक कार्यवाही करने का उल्लेख पहले से ही किया हुआ है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेखों का अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं प्रकरण के विवादित प्रश्नों से संबंधित न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों अनुसार,

a) ग्राम मियासनी का खसरा सं. 146 रकबा 18–17 बीघा की भूमि खातेदार पुखाराम, मंगलाराम पिता पाबूराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट्स सं. 1 से 3 तक अपनी माता मीरा तथा अपीलांट्स सं. 04 से 05 तक अपनी माता वीरा को मृतक खातेदार मंगलाराम पुत्र पुखाराम की सगे बहिने बताकर, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी बताकर, विवादित भूमि को अपने नाम दर्ज कराना चाहते है तथा प्रत्यर्थी 1 मोहनराम, पुखाराम व मंगलाराम द्वारा निष्पादित वादग्रस्त आराजी का वसीयतनामा के आधार पर आक्षेपित नामांतरकरण को विधिसम्मत बताता है, जिसे अपीलांट्स फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बता रहे है तथा अपीलांट्स का कथन है कि खातेदार पुखाराम व मंगलाराम ने कभी भी किसी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है। विवादित अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 04.02.2003 के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने हेतु प्रत्यर्थी 1 मोहनराम ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जोधपुर को प्रस्तुत किया है। तहसीलदार ने प्रकरण सं. 49/2013 दर्ज कर, अन–रजिस्टर्ड वसीयतनामा की वैद्यता का परीक्षण करने हेतु एक आम सूचना दैनिक भास्कर अंक दिनांक 18.02.2014 में प्रकाशित की तथा वसीयतनामा के साक्षी थानाराम व कालूराम के बयान कलमबद्ध किये तथा आम सूचना अखबार में प्रकाशित होने पर, सुखाराम पुत्र कालूराम (अपीलांट 1 का सगा भाई) ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति पेश करके कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें उनका भी हिस्सा है तथा पुखाराम व मंगलाराम ने गलत तरीके से वसीयतनामा लिखा है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तहसीलदार ने बाद जांच निष्कर्ष निकाला कि वादग्रस्त भूमि पाबूराम के नाम दर्ज नहीं है बल्कि पुखाराम व मंगलाराम के नाम दर्ज है। अतः प्रकरण पाबूराम की विरासत का नहीं होने से सुखाराम का एतराज मान्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी का वसीयतनामा मंगलाराम व पुखाराम द्वारा प्रार्थी मोहनराम के पक्ष में किया जाना स्पष्ट है तथा भूमि पर वसीयतग्रहिता मोहनराम का कब्जा काश्त माना तथा वसीयत स्वीकार कर, हल्का पटवारी को माफिक वसीयत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 16.12.2014 को पारित किया, जिसकी पालना में अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 390 दिनांक 30.12.2014 को नायब तहसीलदार, डांगियावास द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील दिनांक 15.10.2025 को इस न्यायालय में 11 वर्ष बाद पेश की है।

तहसीलदार द्वारा पारित उक्तानुसार आदेश की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है।

b) राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 132 के प्रावधानानुसार दान, विक्रय, वसीयत या बंधक द्वारा अंतरण होने पर सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर ही पटवारी को नामांतरकरण दर्ज करना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, जोधपुर ने "अपंजीकृत वसीयतनामा" की वैद्यता की जांच करके आदेश दिनांक 16.12.2014 से वादग्रस्त आराजी का नामांतरकरण, प्रत्यर्थी 1 मोहनराम के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित उक्त आशय का आदेश विधि प्रावधानों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार के बाहर पारित आदेश है। तहसीलदार को विवादित (Disputed) एंव अपंजीकृत वसीयतनामा की वैद्यता का परीक्षण करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। विवादास्पद तथ्यों की जांच सिर्फ सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा नियमित वाद के जरिये ही की जा सकती है।

c) भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 18(c) अनुसार, वसीयत दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है तथा वसीयत के माध्यम से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 अनुसार "खातेदारी आसामी अपने भूमि क्षेत्र में अपने हित को या हित के भाग को उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार, जो उस पर लागू होता है, वसीयतनामा के द्वारा वसीयत दे सकता है परंतु वसीयत का विधि अनुसार निष्पादित होने के तथ्य को साबित करने का भार वसीयत के निष्पादक या लाभार्थी (Propounder) पर होता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

i) 2004 RRD 140 (श्रीवल्लभ बनाम गिन्नी देवी) के पैरा सं. 13 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्यवस्था प्रतिपादित की है:–

"The mode of proving of a will does not ordinarily differ from that of proving any other document except as to the special requirement of attestation prescribed n the case of a will by section 63(c) of the Indian Succession act, 1925. Where it appears that the propounder has taken prominent part in the execution of will, which confers a substantial benefit on him, that itself is generally treated as a suspicious circumstances attending the execution of the Will. Where there are, suspicious circumstances, the onus is on propounder to explain them to the satisfication of the court, before the court accepts the will as genuine one and in such a case, the court would naturally expect that all legitimate suspicion should be completely removed before the document is accepted as the last will of the testator."

ii) 2022(2) RRT 1207 (शिवकुमार बनाम पारो) में राजस्व मण्डल ने पैरा सं. 9 में यह व्यवस्था दी है–

9.....फिर जहां वसीयत विवादित हो जाती है तो वहां पर सक्षम न्यायालय से ही वसीयत की वैद्यता का बिंदु तय करना आवश्यक हो जाता है और उस आधार पर ही नामांतरकरण खोला जा सकता है। जब निर्विवाद रूप से पारों मृतक श्री की पत्नी है और उसके नाम से नामांतरकरण खोला जा चुका है और अब यदि प्रार्थी निगरानीकार सक्षम न्यायालय से वसीयत को साबित कराकर अपने हक में आदेश प्राप्त करता है तो उसके आधार पर दावे के निर्णय अनुसार नामांतरकरण की प्रविष्टि बदली जा सकती है। वैसे भी नामांतरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही होती है और साक्ष्य एवं सबूत दावे में ही पेश हो सकते है और वहां से ही अधिकारों की घोषणा हो सकती है।

iii) यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रत्यर्थी 1 ने विवादित वसीयतनामा दिनांक 04.02.2003 को इस न्यायालय में अवलोकनार्थ पेश ही नहीं किया हैं

iv) राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा 2020 RBJ 301 (चांद कंवर बनाम भीमसिंह) में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है: On the basis of unregistered Will mutation cannot be attested. Non applicant should file a suit in the competent court who can decide the validity of will.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Mutation proceedings is a fiscal proceedings in which rights of khatedar of land cannot be decided.

इस प्रकार अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

v) 2016(2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है:–

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 135 Mutation- Will in favour of R, Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of L – Dispute between natural heirs and testamentary heirs. R is required to prove Will in the regular suit. Suit for title is pending. Held: interference in the order not justified.

इसके अनुसार जहां प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिसान के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है।

vi) 2020 RBJ 1 (पाखर सिंह बनाम किस्तुरी देवी) में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है:

"जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए।

vii)2014 RBJ (21) पेज 20 में माननीय राजस्व मण्डल ने निम्न अभिमत प्रकट किया है:

"मेरा मत है कि जब किसी मृतक की विरासत व वसीयती वारिसान के मध्य विवाद हो तो वसीयती वारिसान के लिए एकमात्र विकल्प वसीयत को सक्षम न्यायालय में साबित करके अपने आपको एकल वारिस घोषित कराना है।

viii)RRT 2017(2) Page 1279 (बलराज सिंह बनाम होशियार सिंह) पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने निम्न मत प्रकट किया है:–

9."The Board of Revenue while discussing the said aspect specifically noticed the said contradiction in the order, wherein the basis for accepting appeal, though was found against the petitioner, the appeal filed by them was allowed by the Divisional Commissioner and thereafter, noticing the settled principles regarding the burden on

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

propounder of the Will to get the Will established/proved before the competent authority allowed the revision petition filed by the respondents.

10. The observation made by the Board of Revenue and the findings recorded by it are in consonance with the material available on record and the settled principal of law."

ix) 2017 RRT (2) Page 1355 (भूरा बनाम मोहन) ने माननीय राजस्व मण्डल ने निम्नानुसार मत प्रकट किया है:

6.....इस बिंदु पर भी कोई विवाद नहीं है कि वसीयत जैसे जटिल कानूनी बिंदु को इंतकाल जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्णित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक उत्तराधिकार को छोडकर वसीयत के आधार पर इंतकाल जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ–साथ यह स्पष्ट करना भी उचित है कि वर्तमान प्रार्थी द्वारा वसीयत की केवल फोटोप्रति अधीनस्थ अपील न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। फोटोप्रति को न्यायिक प्रक्रिया में एडमिट नहीं किया जा सकता। वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत साबित करवाना होता है। यह केवल नियमित वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है।

<u>AIR 2009 SC-951</u> :-

(A) Succession Act 1925 (Section 63)- Will Execution- Burden of proof lies on propounder.

Onus of prove the Will is on the propounder. The propounder. The propounder has to prove the legality of execution and genuineness of the Will by proving absence of suspicious circumstances surrounding the said Will and also by proving the testamentary capacity and the signature of the testator. When there are suspicious circumstances regarding execution of will, the onus is also on propunder to explain them to the satisfaction of the court and only when such responsibility is discharged, the court would accept will as genuine. Even where are no such pleas, but circumstances give

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

rise to such doubt, it is propounder to satisfy the conscience of the court.

उपरोक्त निष्कर्षानुसार, वसीयत के आधार पर इंतकाल जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में कोई हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। जहां प्राकृतिक उत्तराधिकार एवं वसीयत के आधार पर विवाद हो, वहां प्राकृतिक उत्तराधिकार को अधिमान्यता दी जानी चाहिए। वसीयत के अधार पर नियमित वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकारों की घोषणा करवाई जानी चाहिए।

x) माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रिट पीटिशन सं. 3499/2022 विजय सिंह यादव बनाम कृष्णा यादव में दिनांक 14.02.2025 को पारित (फुल बेंच) निर्णय के पैरा सं. 74 में निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की है:–

"74. Now on ancillary question arises for consideration that once a dispute has arisen in the matter of competence of deceased to execute the will or in the matter of validity or authenticity of the Will, them which party would be required to approach the civil court. As we have already held above that in such cases Tehsildar would not have the jurisdiction to carry out mutation, and the burden is on the propounder of the document, then obviously the propounder of the Will would be required to approach the civil court and get the will proved either by resorting to the proceeding of probate or letter of administration or a civil suit for declaration. However, in cases of registered non-testamentary title document, in case of dispute, the person raising dispute will be required to approach the civil court.

.....no equiry into validity of will or other registered title documents can take place before Tehsildar in Revenue proceeding in view of section 295 of the Indian Succesion act 1925 and the incompetence of the Tehsildar to decide question of title by enquiring into registered title documents."

xi) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील सं. 15077/2025 (ताराचन्द्रा बनाम भंवरलाल) में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2025 के पैरा सं. 18 के अंत में इस प्रकार व्यवस्था प्रतिपादित की है:–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

'The full bench decision (Anand Choudhary vs State of MP, 2025 SCC Online MP 977, Date 14-02-2025) makes it clear that there is no bar for seeking mutation based in Will. However, in a case of serious dispute regarding validity/genuineness of the will including competence of testator's capacity to execute it, or where there are two rival wills setup, it would be a dispute beyond the competence of the Tehsildar to decide, and in such a case the appropriate course for the parties would be to approach civil court to get the dispute adjudicated.

19. But what is important that mutation doesn't confer any right, title or interest on a person. Mutation in the revenue records is only for fiscal purpose (2021 SCC online SC 802), thereafter, where there is no serious dispute raised by any natural legal heir, if any, of the tenure holder, in absence of any legal bar, mutation based on a will should not be denied as it would defeat the revenue.

20. In Jitendra Singh VS State of MP (2021 SCC Online SC 802), this court observed that if there is any dispute with repect to title, more particularly when mutation entry is sought on the basis of Will, the party who is claiming title/right will have to approach the appropriate Civil court /Revenue court and get his rights adjudicated. However, in our view, this cannot be taken as a law proscribing mutation based on Will particularly where the legal heirs of the tenure holder raise no dispute.'

d) उक्त विधिक स्थिति अनुसार अगर किसी पक्षकार द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का आवेदन किया गया है तथा वसीयतनामा को वसीयतकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उसे विवादास्पद, फर्जी, जाली इत्यादि के रूप में आक्षेपित किया जाता है तो ऐसे विवादास्पद प्रकरणों में तहसीलदार को उस वसीयत की वैद्यता की जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है तथा जो व्यक्ति उस वसीयत के आधार पर रिकॉर्ड में संपति अपने नाम दर्ज करवाना वाहता है, उसे सिविल कोर्ट से विवाद का न्याय निर्णयन नियमित वाद से करवाना होगा।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि–

A. विवादास्पद वसीयत दिनांक 04.02.2003 को पुखाराम व मंगलाराम द्वारा निष्पादित करना प्रत्यर्थी 1 ने बताया गया है। मंगलाराम की मृत्यु दिनांक 29.08.2004 को तथा पुखाराम की मृत्यु दिनांक 02.08.2004 को होना बताया, फिर भी अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 390, दिनांक 16.12.2014 को तहसीलदार द्वारा प्रकरण सं. 49/2013 में पारित आदेश से दर्ज किया है। प्रश्न उभरता है कि 10 वर्ष तक तथाकथित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया?

B. तहसीलदार के समक्ष दिनांक 28.02.2014 को डूंगरराम ने तथा दिनांक 12.03.2014 को पुखाराम व मंगलाराम के वारिस सुखाराम ने आक्षेप पेश करके वसीयत को फर्जी व कूटरचित व बनावटी बताया है। फिर भी तहसीलदार ने उक्त आक्षेपों को को दरकिनार करते हुए प्राकृतिक वारिसान के बजाय विवादास्पद वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने के दिनांक 16.12.2014 को आदेश पारित किये है, जो इस न्यायालय की राय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राजस्व मण्डल/उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2014 क्षेत्राधिकार से परे होने से प्रारंभतः ही शून्य है तथा शून्य आदेश की पालना में दर्ज अपीलाधीन नामांतरकरण पर पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 भी शून्य है।

11. पूर्वोक्त तथ्यात्मक व विधिक विवेचन की रोशनी में, अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना है–

a) प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2014 की सर्वप्रथम जानकारी माह जुलाई 2025 में होना अंकित किया है तथा दिनांक 29.09.2025 को नामांतरकरण की नकल लेकर अपील पेश की है तथा गुणावगुण पर अपील का निर्णय करने की प्रार्थना की है।

b) प्रत्यर्थी 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथन झूठे है तथा अपीलांट्स पुखाराम व मंगलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया है। झमू के पुत्र डूंगराराम व सुखाराम ने एतराज दिनांक 13.03.2014 को पेश किया था तथा न्यायालय में घोषणा का व म्यूटेशन की अपील करने

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की कार्यवाही का कथन किया है। विवादास्पद भूमि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रोड हेतु भूमि अवाप्त की है, जिसका मुआवजा रेस्पोंडेंट को मिला है, अपीलांट ने एतराज नहीं किया।

इस प्रकार आक्षेपित नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट्स को सदैव रही है तथा 11 वर्षो के बाद यह अपील पेश की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

c) हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं पूर्वोक्त पैरा 9 में किये विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण पर गहनता से मंथन किया। इस न्यायालय की राय में मूल विवाद मृतक मंगलाराम व पुखाराम के प्राकृतिक वारिसान एवं तथाकथित वसीयती वारिसान के मध्य, ख.नं. 146 की कृषि भूमि बाबत उत्तराधिकार को लेकर है। तहसीलदार, जोधपुर द्वारा अपंजीकृत नोटरी से तस्दीक वसीयतनामा की वैद्यता का परीक्षण करके प्रकरण सं. 49/2013 में दिनांक 16.12.2014 को आदेश पारित करके प्रत्यर्थी 1 मोहनराम के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्वोक्त में किये गये विस्तृत विवेचनानुसार तहसीलदार के क्षेत्राधिकार से परे है। विवादित वसीयत की वैद्यता का परीक्षण करने का केवल सिविल कोर्ट का ही क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 अविधिक व बिना क्षेत्राधिकार पारित किया गया आदेश होने से वह प्रारंभतः ही शून्य है तथा ऐसे अवैध व शून्य आदेश की पालना में दर्ज किये गए समस्त इन्द्राजात भी शून्य है। ऐसे अवैध व शून्य आदेशों के आधार पर की गई कार्यवाही को किसी भी हालत में यथावत नहीं रखा जा सकता तथा न ही ऐसी अवैध कार्यवाही को मात्र अपील पेश करने की अवधि व्यतीत होने के आधार पर मान्यता दी जा सकती है, अन्यथा न्याय एक सपना मात्र रहेगा। विवादित संपति अपीलांट्स की पैतृक संपति प्रतीत होती है तथा गैर कानूनी तरीके से अपीलांट्स को पैतृक संपति से मात्र म्याद के तकनीकी बिंदु के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में मेरिट को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तहसीलदार के समक्ष सुखाराम ने आक्षेप पेश किया था, परंतु सुखाराम की मृत्यु हो चुकी थी तथा अपीलांट्स को विवाद की जानकारी होने का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है। इसी प्रकार डूंगरराम इस अपील में पक्षकार ही नहीं है। मात्र सुखाराम व डूंगरराम को जानकारी होने के आधार पर ही शेष अन्य वारिसान को भी पूरी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जानकारी होना नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंगलाराम व पुखाराम के समस्त वारिसान को व्यक्तिशः नोटिस देकर सुना गया है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि किसी पक्ष के साथ मात्र म्याद के तकनीकी बिंदु के आधार पर अपूरणीय क्षति नहीं हो।

इसी प्रकार प्रारंभतः शून्य (Ab initio void) आदेश को अपास्त करने में न्यायालय को न्यायिक दृष्टिकोण अपना कर, पूर्ण न्याय करना चाहिए। तहसीलदार ने इस प्रकरण में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया है। प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के दायरे में रहकर एवं पूर्व के फैसले (Precedents) का अक्षरशः पालन करे तथा न्यायिक संयम (Judicial restraint) का पालन करे एवं न्यायिक औचित्य (Judicial Propriety) वं अनुशासन का पालन करे।

अतः प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य है। फलतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अंदर म्याद पेश होना सुमार की जाती है एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण आधार पर किया जाना विधि सम्मत है।

12. प्रत्यर्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण ने नामांतरकरण सं. 390 पर पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 को ही चुनौती दी है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 जिसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया गया है, उसे आक्षेपित नहीं किया है। अतः अपील पोषणीय नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में RRT 2025(1) 635 (नेनूदेवी बनाम इन्द्राराम) की नजीर पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्कों से यह न्यायालय सहमत नहीं है क्योंकि तहसीलदार ने दिनांक 16.12.2014 को जो आदेश पारित किया है, वह आदेश भी नामांतरकरण को दर्ज करने से पूर्व की जांच का आदेश मात्र है, जो राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 119 से 148 तक की प्रक्रिया का ही भाग है तथा उक्त आदेश की निरंतरता में ही, आक्षेपित नामांतरकरण सं. 390 दर्ज कर दिनांक 30.12.2014 को नायब तहसीलदार डांगियावास द्वारा भी उक्त नियमों के तहत ही पारित किया गया है तथा दोनों आदेश मर्ज हो गये है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

RRT 2025(1) 635 के प्रकरण के तथ्य सर्वथा भिन्न है। उसमें उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश की पालना में दर्ज किये गये नामांतरकरण की अपील कलक्टर को पेश कर दी गई तथा समांतर रूप से उपखण्ड अधिकारी के आदेश की भी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को हो चुकी थी। अगर उपखण्ड अधिकारी का आदेश अपास्त होता है तो नामांतरकरण स्वतः ही रद्द हो जायेगा तथा नामांतरकरण की अपील का कोई औचित्य ही नहीं था। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा की गई जांच के आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया है तथा अपील मीमों में तहसीलदार द्वारा की गई जांच को आक्षेपित किया गया है तथा नामांतरकरण के कॉलम सं. 14 में उसका हवाला भी दिया है। अतः प्रत्यर्थी 1 का आक्षेप बेबुनियाद होने से अस्वीकार किया जाता है।

13. अपील प्रकरण का गुणावगुण आधार पर पूर्वोक्त पैराज में विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया जा चुका है। प्रकरण के तथ्यों का पूर्वोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अन–रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 132 के प्रावधानानुसार, नामांतरकरण दर्ज नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार मृतक के प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिसान के मध्य विवाद होने की स्थिति में, नामांतरकरण दर्ज करने में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा वसीयत के प्रोपाउण्डर को सक्षम सिविल न्यायालय से वसीयत की वैद्यता की डिक्री/आदेश प्राप्त करना चाहिए तथा विवादित वसीयत की वैद्यता की जांच करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त ही नहीं है तथा तहसीलदार, जोधपुर द्वारा विवादास्पद वसीयत की जांच करके, जो आदेश प्रकरण सं. 49/2013 में दिनांक 16.12.2014 को पारित किया गया है, वह अवैध, शून्य व क्षेत्राधिकार से परे पारित किया गया आदेश है तथा अपास्त योग्य है। परिणामतः अवैध आदेश की पालना में दर्ज किया गया नामांतरकरण सं. 390 एवं उस पर पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 भी अपास्त योग्य है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं राजस्व मण्डल ने समय–समय न्यायिक विनिश्चयों से यह तय कर दिया है कि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र एक समरी प्रकार की संक्षिप्त प्रशासनिक कार्यवाही मात्र है, जिसके माध्यम से पक्षकारों के अधिकार, हक, हित, स्वत्वों, आधिपत्यों इत्यादि प्रकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकार के अधिकारों का निर्धारण केवल सक्षम सिविल/राजस्व न्यायालयों द्वारा नियमित वाद के माध्यम से ही, दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य/सबूत लेकर, विवाद्यकों के विरचन के पश्चात ही किया जा सकता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रत्यर्थी 1 ने विवादास्पद वसीयत इस न्यायालय के समक्ष पेश ही नहीं की है। प्रत्यर्थी 1 तथाकथित वसीयतनामा की वैद्यता का परीक्षण सक्षम सिविल कोर्ट से करवाने हेतु स्वतंत्र है। माननीय सिविल न्यायालयों का जैसा भी आदेश होगा, उसी अनुसार नामांतरकरण दर्ज कर लिया जायेगा। जब तक उक्त कार्यवाही संपन्न नहीं होती है, तब तक मृतक मंगलाराम व पुखाराम के कानूनी प्राकृतिक वारिसान के नाम वादग्रस्त आराजी का नामांतरकरण दर्ज करना न्यायोचित है।

15. नामांतरकरण से संबंधित कुछ न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार हैः–

a) Balwant Singh vs Daulat singh (D) by LR's (1997)7 SCC 137 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि–

Mutation of property in Revenue Records neither creates nor extinguishes title to the property nor has it any presumptive value on title. Such entries are relevant only for the purpose of collecting land revenue. इसके बाबत कई प्रकरणों में ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है।

b) Suraj Bhan vs Financial commissioner, (2007)6 SCC 186 में यह भी कहा गया कि संपति में टाईटल नियमित वाद के माध्यम से ही तय किया जा सकता है।

c) Suman Verma vs Union of India, (2004)12 SCC 58

d) Faqruddin vs Tajuddin (2008)8 SCC 12

e) Rajinder Singh vs State of J&K (2008)9 SCC 368

f) Municipal Corporation Aurangabad vs State of Maharashtra (2015)16 SCC 689

g) T Ravi vs B Chinna Narasimha (2017)7 SCC 342

h) Bhima bhai mahadev Kambekar VS Arthur Import Export Co. (2019)3 SCC 191

i) Prahlad Pradhan vs Sonu Kumar (2019)10 SCC 259,

j) Ajit Kaur vs Darshan singh (2019)3 SCC

आदेश

16. परिणामस्वरूप, अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 49/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 एवं जारी पत्रांक भू.अ./2014/8651 दिनांक 18.12.2014 को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। इसी प्रकार उक्त आदेश की पालना में दर्ज ग्राम मियासनी का नामांतरकरण सं. 390

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

एवं उस पर नायब तहसीलदार डांगियावास द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 एवं पश्चात्वर्ती समस्त इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है।

17. प्रकरण तहसीलदार, कुडी भगतासनी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम मियासनी के खसरा नं. 146 व 146/2, जो वर्तमान में मोहनराम पुत्र भाणाराम के नाम दर्ज है, उस इन्द्राजात की जगह, मूल खातेदार मृतक पुखाराम व मंगलाराम पुत्र पाबूराम मेघवाल के सभी कानूनी वारिसान के नाम, बाद नियमानुसार जांच करके, एक माह की अवधि में दर्ज करे। अपीलांट्स व मंगलाराम व पुखाराम के अन्य वारिसान दिनांक 10.03.2026 को तहसीलदार, कुडी भगतासनी के समक्ष उपस्थित होंगे।

18. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तहसीलदार, कुडी भगतासनी को लौटाया जावे।

19. मूल अपील प्रकरण का निर्णय हो जाने के कारण, लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अन्य लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

20. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर